**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**न्यायपीठ :** माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

**दांडिक अपील क्रमांक 1554/1996**

**ननकीदाऊ उर्फ ननकीराम**

**बनाम**

**मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)**

**एवं**

**(संबंधित दांडिक अपील क्रमांक 1621/1996)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**निर्णय**

**विचारार्थ**

**सही/-**
**(सुनील कुमार सिन्हा)**
**न्यायाधीश**

**<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता</u>**

मैं सहमत हूँ

**सही/-**
**मुख्य न्यायाधीश**
11/05/2012

**निर्णय हेतु दिनांक को सूचीबद्ध करें** 11/05/2012

**सही/-**
**(सुनील कुमार सिन्हा)**
**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**न्यायपीठ :** माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

**दांडिक अपील क्रमांक 1554/1996**

**अपीलार्थी :** ननकीदाऊ उर्फ ननकीराम, पिता शिव प्रसाद पटेल, आयु 40 वर्ष, निवासी ग्राम गोरखापाली, थाना मालखरौदा, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)।

**बनाम**

**प्रत्यर्थी :** मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**एवं**

**दांडिक अपील क्रमांक 1621/1996**

**अपीलार्थी :** हीरामोती, पति दिवंगत स्वर्गीय बतारु पटेल (आक्षेपित निर्णय में हतारू पटेल दर्ज), आयु 42 वर्ष, निवासी ग्राम गोरखापाली, थाना-मालखरौदा, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़)।

**बनाम**

**प्रत्यर्थी :** मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)।

**(दांडिक अपीलें अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता)**

---

**उपस्थिति:**

- दांडिक अपील क्र. 1621/1996 में अपीलार्थी की ओर से - **श्री अरुण कोचर,** अधिवक्ता एवं दांडिक अपील क्र. 1554/1996 में अपीलार्थी की ओर से - **श्री बी.एन. पाण्डेय,** अधिवक्ता ।
- दोनों अपीलों में राज्य की ओर से - **श्री जे.ए. लोहानी** पैनल अधिवक्ता।

---

**निर्णय**

**(11.05.2012)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **सुनील कुमार सिन्हा**, **न्यायाधीश** द्वारा उद्घोषित किया गया :

(1) ये अपीलें, सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, विशेष न्यायालय, बिलासपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 258/96 में पारित निर्णय दिनांक 21 अगस्त, 1996 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, अपीलार्थियों को निम्नलिखित रीति से दोषसिद्ध एवं दंडादिष्ट किया गया है, जिसमें सभी दंडों को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है :-

| **दोषसिद्धि** | **दण्डादेश** |
|---|---|
| **अपीलार्थी- ननकीदाऊ:**<br>भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अंतर्गत | 6 माह का कठोर कारावास |

| | |
|---|---|
| भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत<br><br>अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे इसके पश्चात 'विशेष अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 (2) (**v**) के अंतर्ग | आजीवन कारावास एवं 1,000/- रुपये जुर्माना, व्यतिक्रम होने पर 3 माह का कठोर कारावास<br><br>आजीवन कारावास एवं 1,000/- रुपये जुर्माना, व्यतिक्रम होने पर 3 माह का कठोर कारावास |
| **अपीलार्थी- हीरामोती:**<br>भारतीय दंड संहिता की धारा 118 के अंतर्गत<br><br>दंड संहिता की धारा 342 के अंतर्गत | 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 100/- रुपये जुर्माना, व्यतिक्रम होने पर 15 दिन का कठोर कारावास<br><br>6 माह का कठोर कारावास |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) संक्षिप्त में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:-

अभियोक्त्री (अ.सा.-1) गोंड जनजाति की एक विवाहित महिला थी। उसकी आयु लगभग 35 वर्ष थी। वह अपने पति रतिराम और अपने देवर लक्ष्मण (अ.सा.-2) सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ निवास कर रही थी। अपीलार्थी-हीरामोती उसकी पड़ोसी थी। अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 29.09.1995 को रात्रि लगभग 8.00 बजे, अपीलार्थी-हीरामोती, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के घर आई और उसे इस बहाने अपने घर ले गई कि वे 'नाचा' (एक स्थानीय नृत्य) देखने जाएंगे। जब अभियोक्त्री (अ.सा.-1),

अपीलार्थी-हीरामोती के घर पहुंची, तो उसने देखा कि अपीलार्थी-ननकीदाऊ भी वहां उपस्थित था। हीरामोती ने उन्हें अपने घर में अकेला छोड़ दिया और बाहर से घर के दरवाजे बंद कर दिए। आरोप यह है कि इसके पश्चात अपीलार्थी-ननकीदाऊ ने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के साथ बलपूर्वक लैंगिक संभोग किया। संभोग के पश्चात, अभियोक्त्री ने हीरामोती को पुकारा, जिसने दरवाजा खोला और फिर वह (अभियोक्त्री) अपने घर चली गई। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.-प्रदर्श-पी/1) दिनांक 2.10.1995 को लगभग 17:00 बजे दर्ज कराई गई थी। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। डॉ. (श्रीमती) सुधा पाण्डेय (अ.सा.-10) द्वारा उसका परीक्षण किया गया, जिन्होंने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई और बलात्संग के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) की एम.एल.सी. प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/14 है। अपीलार्थी-ननकीदाऊ को अभिरक्षा में लिया गया और उसका अंतःवस्त्र जब्त किया गया। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का पेटीकोट भी जब्त किया गया था। अभियोक्त्री के योनि स्वाब से तैयार की गई दो स्लाइडें और उपरोक्त वस्तुएं रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजी गई थीं, जहाँ से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की प्रतिवेदन के अनुसार, स्लाइडों सहित उपरोक्त वस्तुओं पर शुक्राणु नहीं पाए गए। विचारण के उपरांत, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियोक्त्री (अ.सा.-1) और उसके जेठ, लक्ष्मण (अ.सा.-2) के अभिकथनों पर विश्वास करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि अपीलार्थी-ननकीदाऊ द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग किया गया, जिसमें अपीलार्थी-हीरामोती ने अभियोक्त्री को अपने घर ले जाकर ननकीदाऊ को सहायता प्रदान की थी। तदनुसार, अपीलार्थियों को उपरोक्त रीति से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री अरुण कोचर ने यह तर्क दिया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है; अभियोक्त्री (अ.सा.-1) का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है; अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने 2 दिनों तक किसी को भी घटना के बारे में जानकारी नहीं दी; यहाँ तक कि उसने अपने पति को भी घटना के विषय में नहीं बताया, जो स्वीकृत रूप से घर पर ही उपस्थित था; चिकित्सकीय साक्ष्य और विधि विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के कथन का समर्थन नहीं करते हैं; उसके समग्र आचरण को देखते हुए, इस मामले में उसके सहमत पक्षकार होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है; अतः, दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता, श्री जे.ए. लोहानी ने इन तर्कों का विरोध किया और विशेष न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा विशेष प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(6) अभियोक्त्री (अ.सा.-1) लगभग 35 वर्ष की विवाहित महिला थी। उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन रात्रि लगभग 8.00 बजे, अपीलार्थी-हीरामोती उसके घर आई और उसे 'नाचा' देखने जाने के बहाने अपने साथ ले गई। अभियोक्त्री ने अपने पति को बताया था कि वह हीरामोती के साथ जा रही है। जैसे ही वे अपीलार्थी-हीरामोती के घर में प्रविष्ट हुए, हीरामोती ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और कमरे से बाहर चली गई। अपीलार्थी-ननकीदाऊ उस कमरे में मौजूद था। उसके पश्चात अपीलार्थी-ननकीदाऊ ने उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया। संभोग के बाद, उसने हीरामोती को पुकारा, जिसने दरवाजा खोला। तत्पश्चात वह तुरंत अपने घर

गई और अपने जेठ, लक्ष्मण (अ.सा.-2) को पूरी घटना बताई। प्रति-परीक्षण में उसने स्वीकार किया कि संभोग करने से पूर्व, अपीलार्थी-ननकीदाऊ ने उसके शरीर से उसके सभी वस्त्र उतार दिए थे, और उसके बाद उसे फर्श पर लेटा दिया था। उसने संभोग किया जिसमें लगभग 15 मिनट लगे। उसने स्वीकार किया कि संभोग के समय उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि संभोग पूर्ण होने के पश्चात, वह उठी और उसने सामान्य रीति से अपने वस्त्र पहने। उसने आगे स्वीकार किया कि वस्त्र पहनने के बाद, उसने हीरामोती को पुकारा जिसने दरवाजा खोला और उसके बाद ही वह अपने घर गई। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने प्रति-परीक्षण के कण्डिका-8 में आगे यह स्वीकार किया कि जब वह अपने घर पहुंची, तो उसका पति घर पर मौजूद था, परंतु उसने ये सभी तथ्य अपने पति को नहीं बताए। उसने कण्डिका-9 में आगे स्वीकार किया कि उसने 2 दिनों के बाद पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई और इस अवधि के दौरान उसने घटना के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं बताया। अपने प्रति-परीक्षण के कण्डिका-15 में, उसने स्वीकार किया कि जब अपीलार्थी-ननकीदाऊ संभोग कर रहा था, तब उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) लक्ष्मण (अ.सा.-2) ने सर्वप्रथम यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने घटना के विषय में उसी रात जानकारी दी थी। हालांकि, प्रति-परीक्षण में उसने बयान दिया कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) द्वारा उसे घटना की जानकारी अगले दिन दी गई थी। आगे प्रति-परीक्षण में, उसने यह स्वीकार किया कि उसका भाई, जो कि अभियोक्त्री का पति है, उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन वह घर पर ही उपस्थित था।

(8) साक्ष्यों के विश्लेषण करने पर, हम पाते हैं कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के साक्ष्य के अनुसार, वह रात्रि लगभग 8.00 बजे अपने पति की उपस्थिति में अपने घर से निकली थी। वह कुछ ही देर बाद अपीलार्थी-हीरामोती के घर पहुँच गई। अपीलार्थी-ननकीदाऊ, हीरामोती के घर में उपस्थित था। जब हीरामोती कमरे का दरवाजा बंद कर रही थी, तब अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने कोई शोर नहीं मचाया। यहाँ तक कि जब अपीलार्थी-ननकीदाऊ उसके वस्त्र उतार रहा था, तब भी उसने शोर नहीं मचाया और उसने अपने संपूर्ण वस्त्र उतारने दिए। लगभग 15 मिनट तक संभोग किया गया, जिस दौरान अभियोक्त्री (अ.सा.-1) कमरे के फर्श पर लेटी हुई थी। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के शरीर पर प्रतिरोध का कोई भी निशान नहीं है। यहाँ तक कि उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट भी नहीं पाई गई है। उसने अपने प्रति-परीक्षण के कण्डिका-15 में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि जब अपीलार्थी-ननकीदाऊ संभोग कर रहा था, तब उसने प्रतिरोध स्वरूप उसे कोई चोट नहीं पहुँचाई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) यदि हम घटना-स्थल के नज़री नक्शा का अवलोकन करें, तो यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी-हीरामोती का घर गाँव के सघन आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है और उसके घर के आसपास कई मकान सटे हुए हैं। हीरामोती के घर से लगी हुई दो सार्वजनिक गलियाँ भी हैं। यदि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपीलार्थी-ननकीदाऊ द्वारा किए गए बलपूर्वक संभोग के उक्त कृत्य के विरुद्ध शोर मचाया होता, तो निश्चित रूप से उस मोहल्ले के निवासियों या गलियों से गुजरने वाले व्यक्तियों द्वारा उसे सुना या ध्यान दिया गया होता। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है।

(10) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बलपूर्वक संभोग के संबंध में अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के कथन की संपुष्टि चिकित्सकीय प्रतिवेदन या विधि

विज्ञान प्रयोगशाला की प्रतिवेदन से नहीं होती है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/1) दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब हुआ है और इसके लिए कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने पति को भी इस घटना के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, जो स्वीकारोक्ति के अनुसार घर पर ही उपस्थित था। यहाँ तक कि अभियोक्त्री के पति रतिराम का विशेष न्यायालय के समक्ष परीक्षण भी नहीं कराया गया। हमारा यह मत है कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के उक्त आचरण और अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त सामग्री के आधार पर, इस मामले में अभियोक्त्री (अ.सा.-1) के सहमत पक्षकार होने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। अतः, साक्ष्यों के उपरोक्त समूह पर आधारित दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) अभियोक्त्री (अ.सा.-1) गोंड जनजाति की एक विवाहित महिला थी। विशेष अधिनियम की धारा 3 (2) (**v**) के अंतर्गत अपराध के कारित होने को प्रमाणित करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मात्र यह तथ्य कि अभियोक्त्री अनुसूचित जनजाति की महिला थी, स्वतः ही इस अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है। इस तथ्य के अलावा कि अभियोक्त्री (अ.सा.-1) गोंड जनजाति से संबंधित है, उक्त अधिनियम के तहत किसी भी अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभिलेख पर अन्य कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। अतः, विशेष अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि को भी कायम नहीं रखा जा सकता (देखें-***रामदास एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,(2007)2*** *एस.सी.सी.* ***170)।***

(12) उपरोक्त कारणों के आधार पर, ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं। भारतीय दंड संहिता की उपरोक्त धाराओं और विशेष अधिनियम की धारा 3 (2) (**v**) के अंतर्गत अपीलार्थियों को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश निरस्त किए जाते हैं।

अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह सूचित किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभूतियों को उनमोदित किया जाता है।

सही/- सही/-

**मुख्य न्यायाधीश** **सुनील कुमार सिन्हा**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated by : Ashwani Shukla, Advocate**